

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 9th November, 2006]

182

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 नवम्बर, 2006

संख्या 22/35/2005-5 विद्युत.—पंजाब बिजली (शुल्क) अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 10), की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार के साथ दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के बीच हुए हस्ताक्षरित करारनामे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, लोकहित में, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कर्षण के दौरान हरियाणा विद्युत इकाईयों द्वारा उपयोग की गई, विद्युत शुल्क की अदायगी से छूट देते हैं।

अशोक लवासा,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

विद्युत विभाग।